

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

आप.प्रक.क.-300618 / 2016

संस्थित दिनांक 26.08.2016

फाई. क्रमांक 3009592016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, मलाजखंड
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

1. राहुल गांधी पिता शेरसिंह टेकाम, उम्र-22 वर्ष,
निवासी ग्राम मरारीटोला बिरसा थाना बिरसा जिला बालाघाट।
2. गंगाधर पिता प्रेमनारायण गौतम, उम्र-31 वर्ष, जाति पंवार,
निवासी ग्राम खोलवा थाना बैहर जिला बालाघाट।

— — — — **आरोपीगण**// **निर्णय** //**(आज दिनांक 11/12/2017 को घोषित)**

01. आरोपीगण के विरुद्ध म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4,6,9 एवं 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत अपराध किये जाने का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 09.06.2016 को समय 18:05 से 18:10 बजे के बीच ग्राम रेंहगी रोड तिराहा ग्राम मोहगांव थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट में 03 नग मवेशी एक लाल रंग की गाय, एक लाल रंग की बछिया, एक सफेद रंग का बैल कटने के उद्देश्य से ले जाते हुए पाये गए एवं उक्त 03 नग मवेशी को बेरहमी से मारते-पीटते हुए ले जाकर उन्हें पीड़ा या यातना कारित की।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि सिरपत महोबे ने रिपोर्ट दर्ज करवाया कि वह थाना मलाजखंड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ है। दिनांक 09.06.16 को जुर्म जरायम तलाश पतासाजी एवं साप्ताहिक बाजार प्रबंध हेतु हमराह स्टाफ प्र.आर.चा.50 सन्त कुमार उइके एवं आर.1236 जितेन्द्र सेंगर के साथ रवाना हुआ था। दौरान साप्ताहिक बाजार प्रबंध ड्यूटी के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मोहगांव मवेशी बाजार से कुछ लोग चार पहिया वाहन में पशु (गौवंश) क्रूरतापूर्वक भरकर कल्लखाने नागपुर ले जा रहे हैं। उक्त सूचना तसदीक कार्यवाही हेतु हमराह फोर्स एवं तलबशुदा पंचान लवलेश वर्मा टाउनशीप मलाजखण्ड, राजकुमार लाहोरी टाउनशीप मलाजखण्ड को सूचना से अवगत कराया। बाद रेहगी तिराहा पहुंचा जहां पास लगे मैदान में कुछ पीकअप वाहन चार पहिया खड़े दिखे जो अंधेरा का लाभ लेकर पेड़ों की आड़ में वाहन क्रमांक एम.पी.50जी.1031 बोलेरो पिकअप के चालक राहुल गांधी के विरुद्ध 03 नग मवेशी जिसमें एक लाल रंग की गाय, एक लाल रंग की बछिया किमती 10,000/- रुपये एवं एक सफेद रंग का बैल

किमती 9,000/—रुपये का होना पाया गया। कुल किमती 19,000/— रुपये का होना पाया गया, जिससे मवेशी मालिक का नाम पता पूछा गया तो वाहन चालक ने अपना नाम गंगाधर गौतम होना बताया, जिससे वाहन चालक एवं मवेशी मालिक से मवेशी परिवहन के संबंध में परमिट अभिवाहन पत्र, पशुओं की खरीदी बिक्री रसीद, बाजार रवाना रसीद रखने के संबंध में पूछने पर किसी प्रकार की परिवहन संबंधी पत्र प्रस्तुत नहीं किये। विवेचना दौरान आरोपीगण के विरुद्ध अपराध धारा-11घ पशु कूरता अधिनियम 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम पंजीबद्ध कर आरोपी वाहन चालक राहुल गांधी एवं आरोपी पशु मालिक गंगाधर गौतम को गिरफ्तार किया गया। विवेचना दौरान जप्ती, मौका-नक्शा एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। जप्तशुदा वाहन मय मवेशियों के थाना लाकर सुरक्षार्थ रखा गया। विवेचना दौरान आरोपीगण का धारा-41(1)(बी)(11) जा.फौ. की चेक लिस्ट तैयार की गई 03 नग मवेशी एक गाय, एक बछिया एक बैल का पशु चिकित्सक शासकीय पशु चिकित्सालय मोहगांव में परीक्षण कराया गया तथा उक्त मवेशियों को हिफाजतनामा में दिया गया एवं उक्त वाहन थाना सुरक्षार्थ रखा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 86/16 दिनांक 09.08.16 को तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपीगण को म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4,6,9 एवं 11(घ) पशु कूरता अधिनियम के अंतर्गत के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फंसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

01— क्या आरोपीगण ने दिनांक 09.06.2016 को समय 18:05 से 18:10 बजे के बीच ग्राम रेंहगी रोड तिराहा ग्राम मोहगांव थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट में 03 नग मवेशी एक लाल रंग की गाय, एक लाल रंग की बछिया, एक सफेद रंग का बैल कटने के उद्देश्य से ले जाते हुए पाये गए ?

02— क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त 03 नग मवेशी को बेरहमी से मारते-पीटते हुए ले जाकर उन्हें पीड़ा या यातना कारित की ?

विवेचना एवं निष्कर्ष:-

नोट— सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी राजकुमार अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपी गंगाधर गौतम को पहचानता है तथा आरोपी राहुल को नहीं पहचानता है। घटना

उसके न्यायालयीन कथन से करीब एक वर्ष पूर्व दिन के समय की है। घटना के समय उन्हें पुलिस वालों ने सूचना दी थी कि कुछ लोग चार पहिया वाहन में अवैध रूप से पशु लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद मलाजखंड थाने के पास उन लोगों ने आरोपी के वाहन को रोका, उसमें करीब चार-पांच पशु अवैध रूप से रखे हुये थे, पूछने पर गाड़ी वाले ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये और ना ही उचित स्पष्टीकरण दिया। उसके बाद गाड़ी को मवेशी के साथ जप्त कर थाने लाये थे तथा थाने में लिखा-पढ़ी किये थे। गाड़ी में मवेशी अच्छे रखे हुये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण के कब्जे से एक बुलेरो पीकअप वाहन पशुओं के साथ मय कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 तथा 03 तैयार किया था, जिसके क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

06— साक्षी राजकुमार अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि गाड़ी का नंबर एम.पी.50जी.1031 था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण वाहन में मवेशी को निर्दयापूर्वक ठुस-ठुस कर भर रहे थे तथा आपस में बोल रहे थे कि मवेशियों को नागपुर कत्लखाना लेकर जाना है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसे यह बात मालूम नहीं है कि चार पहिया वाहन में मवेशी भरकर लेकर जा रहे हैं। साक्षी के अनुसार पुलिस थाने से उन्हें फोन आया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया कि थाने से फोन आने के बाद उन लोगों ने आरोपीगण की गाड़ी को रोक कर चैक किये थे तथा आरोपीगण की गाड़ी के कागज चैक किये थे, उन लोगों को गाड़ी के कागज चैक करने का अधिकार नहीं है। साक्षी के अनुसार पुलिस वाले दस्तावेजों की जांच कर रहे थे, वह लोग केवल उनके साथ में थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि पुलिसवालों ने प्रकरण की समस्त कार्यवाही थाने में तैयार किये थे और थाने में उन लोगों का नाम पता पूछने के बाद उन लोगों को थाने वालों ने जाने कहा, तब वह लोग वहाँ से चले गये थे, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसके समक्ष जप्ती एवं गिरफ्तारी की कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।

07— साक्षी राजकुमार अ.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि संपत्ति जप्ती पत्रक में किस वाहन की जप्ती तैयार किये थे उसे मालूम नहीं है, किस-किस आरोपी की गिरफ्तारी किये थे उसे यह भी नहीं मालूम है, उसे घटना का दिन व तारीख मालूम नहीं है। साक्षी के अनुसार घटना सुबह लगभग 10-11 बजे की है, जब पुलिसवालों ने फोन करके बुलाये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे, यदि उक्त प्रकरण

में पुलिस ने उसके बयान संलग्न किये हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता, उसने पुलिस के कहने पर उक्त कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिया था तथा उक्त कागजों पर क्या-क्या लेख था उसे इसकी जानकारी नहीं है।

08— साक्षी लवलेश अ.सा.02 का कथन है कि वह आरोपी गंगाधर गौतम को पहचानता है तथा आरोपी राहुल को नहीं पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब एक वर्ष पूर्व दिन के समय की है। घटना के समय उसे पुलिस वालों ने सूचना दी थी कि कुछ लोग चार पहिया वाहन में अवैध रूप से पशु लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद मलाजखंड थाने के पास उन लोगों ने आरोपी के वाहन को रोका था, उसमें करीब चार-पांच पशु अवैध रूप से रखे हुये थे, पूछने पर गाड़ी वालों ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये और ना ही उचित स्पष्टीकरण दिया। उसके बाद गाड़ी को मवेशी के साथ जप्त कर थाने लाये थे तथा थाने में लिखा-पढ़ी किये थे। गाड़ी में मवेशी अच्छे से नहीं रखे हुये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण के कब्जे से एक बुलेरो पीकअप वाहन पशुओं के साथ मय कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 तथा प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके कमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि गाड़ी का नंबर एम.पी.50जी.1031 था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण आपस में बोल रहे थे कि मवेशियों को नागपूर कत्लखाना लेकर जाना है।

09— साक्षी लवलेस अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसे घटना का दिन, तारीख व समय पता नहीं है किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। साक्षी के अनुसार वह एक आरोपी को जानता है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह जिस आरोपी को जानता है उसका नाम क्या है और वह कहां का है उसे नहीं मालूम, क्योंकि प्रकरण की समस्त कार्यवाही थाने में बैठकर तैयार की गई थी, पुलिस ने जप्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 एवं 03 में कौन सा वाहन जप्त किया था तथा कौन-कौन आरोपीगण को गिरफ्तार किया था उसे नहीं मालूम, पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे, यदि पुलिस ने उसके बयान प्रकरण में संलग्न किये हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता, पुलिस वालों के कहने पर उसने उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया था, उक्त दस्तावेजों पर क्या लिखा था उसे जानकारी नहीं है और ना ही पुलिस ने उसे पढ़कर सुनाये थे, उक्त वाहन में कितने जानवर थे उसे जानकारी नहीं है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उक्त वाहन में जानवर अच्छे से रखे थे।

10— डॉ० धनवान शाह अ.सा.03 का कथन है कि वह दिनांक 10.06.2016 को पशु चिकित्सालय मोहगांव में पशु चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मलाजखंड द्वारा तीन पशु परीक्षण हेतु लाये गये थे, जिसमें एक गाय, एक बछड़ा एवं एक बैल था, जिसका उसके द्वारा परीक्षण किया गया था। परीक्षण करने पर उसने तीनों पशु स्वस्थ अवस्था में पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त पशुओं पर मारने-पीटने के कोई निशान नहीं थे तथा उक्त पशु कृषि तथा घरेलू कार्यों में प्रयोग किये जा सकते हैं।

11— साक्षी सिरपत मोहबे अ.सा.04 का कथन है कि वह दिनांक 09.06.2016 को थाना मलाजखंड में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी द्वारा उसकी ड्यूटी साप्ताहिक बाजार मोहगांव प्रबंध में हमराह आरक्षक जितेन्द्र सेंगर क्रमांक 1236, चालक प्रधान आरक्षक संतकुमार उइके क्रमांक 50 के लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों से सूचना प्राप्त हुई कि मोहगांव मवेशी बाजार में कुछ लोग फोर व्हीलर वाहन में अवैध रूप से मवेशियों को निर्दयातापूर्वक भरकर कत्लखाने ले जा रहे हैं। उक्त सूचना पर हमराह स्टाफ के घटना की तस्दीक हेतु मौके पर पहुँचा, जहाँ पर ग्राम रेहंगी रोड तिराहा के पास सफेद रंग की बुलेरो पीकप क्रमांक एम.पी.50जी.1031 में दो लोग मिले, जिनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम आरोपी चालक राहुल गांधी तथा वाहन मालिक गंगाधर गौतम ग्राम खोलवा थे। उक्त वाहन में एक सफेद रंग का बैल कीमत लगभग 9,000/- रुपये तथा एक लाल रंग की गाय एवं बछिया की कुल कीमत लगभग 10,000/- रुपये, कुल कीमत 19,000/- रुपये है। उक्त व्यक्तियों से खरीदी बिक्री के संबंध में वैध कागजात पूछने पर कागजात नहीं होना बताये। उक्त जप्तशुदा मवेशियों एवं वाहन को मय आरोपीगण के थाना मलाजखंड ले जाकर अपराध क्रमांक 89/16 अंतर्गत धारा-11घ पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम, 1960 एवं 4, 6, 9 म0प्र0 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए तथा बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— साक्षी सिरपत मोहबे अ.सा.04 के अनुसार उक्त दिनांक को ही विवेचना दौरान गवाह लवलेश वर्मा तथा राजकुमार लाहोरी के समक्ष आरोपी गंगाधर गौतम के कब्जे से एक नग बैल सफेद रंग तथा लाल रंग की एक गाय तथा बछिया तथा आरोपी राहुल गांधी से बुलेरो पीकप वाहन सफेद रंग क्रमांक एम.पी.50जी.1031 मय कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा गवाह लवलेश वर्मा तथा राजकुमार लाहोरी के कथन उनके बताये

अनुसार लेख किये गये थे। उक्त दिनांक को ही उक्त गवाहों के समक्ष ही आरोपीगण राहुल गांधी एवं गंगाधर गौतम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया था, जो प्र.पी.02 तथा प्र.पी.03 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भागों पर आरोपीगण के हस्ताक्षर है। जप्तशुदा मवेशियों का परीक्षण पशु चिकित्सक डॉ० शाह से कराने के पश्चात दिनांक 10.06.2016 को जप्तशुदा मवेशियों को गवाह तेजलाल ठाकरे तथा तिरथराज राहंगडाले के समक्ष जगदीश बोपचे को हिफाजतनामा पर दिया गया। जप्तशुदा मवेशियों को दिनांक 10.06.2016 से दिनांक 24.06.2016 तक 80/-रुपये प्रति नग प्रतिदिन के हिसाब से खाना-खुराक मवेशी हिफाजतदार जगदीश बोपचे द्वारा खिलाया गया, जो कुल राशि 3,600/- रुपये खाना खुराक है। संपूर्ण विवेचना उपरांत थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

13— साक्षी सिरपत महोबे अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कितने बजे सूचना दी थी, इसका उल्लेख उसने केस डायरी में नहीं किया है। उक्त वाहन में तीन नग मवेशी थे। वह यह नहीं बता सकता कि उक्त वाहन में तीन मवेशी आसानी से खड़े रह सकते हैं। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि तीनों मवेशी हष्ट-पुष्ट थे, जिसमें बछिया छोटी थी, गाय का एक बछड़ा था एवं गाय दूध देती थी और इन मवेशियों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता था कि उक्त जानवरों को कत्लखाना काटने ले जा रहे थे या उक्त जानवर पालतू थे। वह यह नहीं बता सकता कि उन्होंने उक्त जानवरों को कब पकड़े थे। साक्षी के अनुसार शाम करीब 6:00 बजे पकड़े थे। उसे जानकारी नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी लवलेश वर्मा एवं राजकुमार लाहोरी बजरंग दल के सदस्य है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि स्वतंत्र साक्षी लवलेश वर्मा एवं राजकुमार लाहोरी का कहना है कि उन्हें फोन करके वाहन पकड़ने के लिये बुलाया गया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि यदि स्वतंत्र साक्षी लवलेश वर्मा एवं राजकुमार लाहोरी ने अपने न्यायालयीन कथन में यह कथन किया हो कि पुलिस ने फोन करके बुलाया था तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। यह अस्वीकार किया है कि जप्ती की कार्यवाही थाने में की गई थी। साक्षी के अनुसार घटनास्थल पर किये थे। यह स्वीकार किया कि उसने घटना का मौका-नक्शा तैयार नहीं किया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह मौके पर नहीं गया था, इसलिये मौका-नक्शा तैयार नहीं किया था। साक्षी के अनुसार ऐसे मामलों में मौका-नक्शा तैयार नहीं किया जाता है।

14— साक्षी सिरपत महोबे अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि जप्तशुदा पीकप वाहन गंगाधर गौतम का है। साक्षी के अनुसार मुकेश का है। यह अस्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अंतिम प्रतिवेदन उसने तैयार नहीं किया था, किन्तु इन सुझावों

को स्वीकार किया है कि उसने अपने मुख्यपरीक्षण में वाहन मालिक गंगाधर गौतम निवासी वार्ड नंबर 05 खोलवा बताया है, जो सही है, वाहन मालिक मुकेश का नाम बताया है वह गलत है। यह अस्वीकार किया है कि उसने वाहन के दस्तावेज बिना देखे गंगाधर गौतम को वाहन मालिक बना दिया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त प्रकरण में उक्त जप्तशुदा वाहन के संबंध में किसी अन्य वाहन मालिक के दस्तावेज संलग्न हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता तथा उसने ही प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही की है। साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसने स्वतंत्र साक्षियों के कथन अपने मन से लेख कर लिये हैं। साक्षी के अनुसार गवाहों के बताये अनुसार ही लेखबद्ध किये थे। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि यदि उक्त जप्तशुदा वाहन मुकेश पिता अशोक तुमड़े जाति कुम्हार निवासी मण्डई के नाम से पंजीबद्ध हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता, उसने प्रकरण में जप्तशुदा पीकप वाहन एम.पी.50जी.1031 जो मुकेश तुमड़े पिता अशोक कुमार तुमड़े के नाम पंजीबद्ध है, को मय दस्तावेज के जप्त नहीं किया था, उक्त प्रकरण में उसने वाहन के समस्त दस्तावेज एवं वाहन का हवाला कैसे दिया है, इसका कारण वह नहीं बता सकता तथा उसने गंगाधर गौतम के नाम से उक्त जप्तशुदा वाहन से संबंधित दस्तावेज उक्त प्रकरण में संलग्न नहीं किया है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने आरोपी राहुल गांधी एवं गंगाधर गौतम के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया है।

15. उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि घटना जप्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 एवं प्र.पी.03 के स्वतंत्र साक्षीगण राजकुमार(अ.सा.01) व लवलेश(अ.सा.02) द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने के बावजूद उनकी साक्ष्य में ऐसी कोई सारभूत व तात्विक तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं हुई हैं, जिससे अभियोजन कहानी के इस तथ्य का समर्थन होता हो कि आरोपीगण द्वारा जप्तशुदा तीन नग मवेशियों को मारपीट कर उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था तथा उन्हें वध करने के प्रयोजन से परिवहन कर ले जाया जा रहा था। यह भी स्पष्ट है कि अभियोजन का समर्थन एकमात्र विवेचना अधिकारी सिरपत मोहबे(अ.सा.04) द्वारा किया जा रहा है। उक्त साक्षी जो कि पुलिस अधिकारी है की अभियोजन से हितबद्धता के कारण उसके साक्ष्य का सूक्ष्म एवं गहन विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

16. विवेचना अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक थाना मलाजखंड सिरपत मोहबे (अ.सा.04) ने साक्ष्य में व्यक्त किया है कि आरोपीगण मोहगांव बाजार से जप्तशुदा तीन नग मवेशियों को वाहन में क्रूरतापूर्वक ठुस-ठुस कर भरकर कत्लखाने नागपुर ले जा रहे थे, जिसका समर्थन न तो घटना, जप्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 एवं प्र.पी.03 के स्वतंत्र साक्षीगण राजकुमार(अ.सा.01) व लवलेश(अ.सा.02) द्वारा किया जा रहा है

और ना ही चिकित्सक डॉ० धनवान शाह (अ.सा.03) की साक्ष्य और उसके चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 से हो रही है। उक्त विवेचना अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में यह भी नहीं बताया है कि उसने जप्तशुदा तीन नग मवेशियों पर मारपीट के कोई निशान देखे थे और ना ही यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुँचा तब उक्त जप्तशुदा जानवरों के साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट कर कूरता की जा रही थी।

17. इसी प्रकार यह स्पष्ट है कि घटनास्थल रेहंगी रोड तिराहा, मोहगांव थाना मलाजखंड जहाँ से आरोपीगण से तीन नग मवेशी एवं बुलेरो पिकअप वाहन सफेद रंग क्रमांक एम.पी.50.जी.1031 मय दस्तावेज के जप्त करना दर्शित किया गया है, वहाँ जानवरों के क्रय-विक्रय का बड़ा बाजार लगता है और जहाँ स्थानीय और आस-पास के लोग खेती हेतु मवेशियों को खरीदते एवं बेचते हैं। यह भी स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा भी जप्तशुदा तीन नग मवेशियों को क्रय-विक्रय हेतु उक्त मोहगांव बाजार लाया गया था। उक्त विवेचना अधिकारी द्वारा जप्तशुदा तीन नग मवेशियों को वाहन से कहाँ वध करने के लिये ले जाया जाना था साक्ष्य में नहीं बताया है और ना ही उसके द्वारा हमराह स्टाफ का नाम बताया गया है और ना ही उनमें से किसी की भी साक्ष्य न्यायालय में कराई गई है। विवेचना अधिकारी तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक सिरपत मोहबे(अ.सा.04) की साक्ष्य में ऐसी कोई विश्वसनीय तथ्य व परिस्थितियाँ दर्शित नहीं हो रही है, जिससे यह प्रकट हो कि आरोपीगण द्वारा जप्तशुदा तीन नग मवेशियों को वध करने के प्रयोजन से उनका परिवहन किया जा रहा था। मोहगांव बाजार जहाँ कि पशुओं के क्रय-विक्रय का बाजार लगता है, उसके पास ही आरोपीगण से तीन नग मवेशियों को जप्त किया गया था। बचाव पक्ष द्वारा अपने तर्कों में यह व्यक्त किया गया है कि उनके द्वारा स्वयं के प्रयोजन हेतु पशु क्रय पश्चात ले जाये जा रहे थे और उक्त संबंध में प्रकरण में मवेशी बिक्री रसीद की फोटोकापी संलग्न है।

18. यद्यपि बचाव पक्ष द्वारा खरीदी के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और ना ही कोई साक्ष्य दी गई है। तथापि मात्र उक्त बाजार से जप्तशुदा मवेशियों को आरोपीगण से जप्त किया जाना मात्र यह आधारित एवं स्थापित करने के लिये पर्याप्त नहीं है कि आरोपीगण के द्वारा मवेशियों को वध करने के प्रयोजन से बाजार में विक्रय के लिये लाया गया था अथवा कूरतापूर्वक वाहन में ठुस-ठुस कर रखा गया था। विवेचना अधिकारी तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक सिरपत मोहबे(अ.सा.04) की साक्ष्य लेश मात्र भी विश्वसनीय एवं भरोसेमंद नहीं है कि आरोपीगण के द्वारा जप्तशुदा मवेशियों को वध करने के प्रयोजन से परिवहन किया जा रहा था अथवा कूरतापूर्वक रखा गया था। अभियोजन को साक्षियों की साक्ष्य से प्रथमदृष्टया यह स्थापित करना था कि वस्तुतः आरोपीगण द्वारा मवेशियों को वध करने के प्रयोजन से विक्रय के लिये लाया गया था और कूरतापूर्वक रखा गया था, जिसे अभियोजन स्थापित करने में असफल रहा है।

19. उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि घटना, जप्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 एवं प्र.पी.03 के स्वतंत्र साक्षी राजकुमार(अ.सा.01) एवं लवलेश(अ.सा.02) द्वारा घटना एवं अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है, वहीं विवेचना अधिकारी सिरपत मोहबे(अ.सा.04) की साक्ष्य विश्वसनीय एवं भरोसेमंद होना दर्शित नहीं हो रही है और संपूर्ण अभियोजन कहानी गंभीर रूप से संदेह की परिधि में है तथा संदेह का लाभ निश्चित रूप से आरोपीगण को जाता है।

20. इस प्रकार अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण द्वारा घटना दिनांक समय व स्थान पर 03 नग मवेशी एक लाल रंग की गाय, एक लाल रंग की बछिया, एक सफेद रंग का बैल कटने के उद्देश्य से ले जाते हुए पाये गए एवं उक्त 03 नग मवेशी को बेरहमी से मारते-पीटते हुए ले जाकर उन्हें पीड़ा या यातना कारित की। अतः आरोपीगण को म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4,6,9 एवं 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

21. आरोपीगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

22. प्रकरण में जप्तशुदा तीन नग मवेशी स्वामी गंगाधर पिता प्रेमनारायण की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

23. प्रकरण में जप्तशुदा बुलेरो पिकअप वाहन क्रमांक एम.पी.50जी. 1031 वाहन स्वामी राहुल गांधी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

24. आरोपीगण विवेचना के दौरान दिनांक 10.06.2016 से दिनांक 14.06.2016 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। इस संबंध में धारा-428 जा0फौ0 का प्रमाण-पत्र बनाया जावे, जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही / -
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

सही / -
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट